<u>समय सीमा</u>
06.11.2017

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 965 /1152/2017/ब–1/ चार भोपाल दिनांक 12 /10/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश

विषयः–द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017–2018 का विधान सभा में उपस्थापन ।

–0–

वर्ष 2017–2018 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुपूरक अनुमान में निम्न स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जावेगी :–

(1) जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो ।
(2) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।
(3) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से करेंगे ।

2. कोई भी ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेगें जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन क्रय के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे ।

3. अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका की 6 प्रतियां (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में वित्त विभाग को दिनांक **06–11–2017** तक निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें । कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का सही परीक्षण कर लें।

4. जिन मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका, केन्द्रीय सहायता की राशि, जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेष तौर से संलग्न की जाये । इसी प्रकार यदि कोई व्यय, जिसके लिये राशि मांगी जा रही है, उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है, तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाये ।

संलग्न :– दो प्रपत्र

12/10/17
(अजीत कुमार)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017–2018 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड,नाम आवश्यक रूप से भरें,) (तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें)(यदि एक ही योजना (स्कीम) अलग–अलग लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उनके लिये अलग–अलग पत्रक का उपयोग करें, अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगें । पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़े ।)

1. बजट शाखा तथा सहायक कोडः ____________
2. विभाग (कोड तथा नाम) ____________
3. बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) ____________
4. मांग संख्या ____________
5. मुख्य शीर्ष ____________
6. उप मुख्य शीर्ष ____________
7. लघु शीर्ष ____________
8. मतदेय/भारित ____________
9. योजना (स्कीम) का नाम–(अधिकतम 20 शब्दों में) ____________

9.1 योजना (स्कीम) का कोड ____________

9.2 सेगमेंट (कोड तथा नाम) ____________

कोड अवश्यक भरें) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम)

10 योजना (स्कीम) का प्रकार– (जो लागू न हो उसे काट दें) नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर

11. फण्ड के स्त्रोतः–

	प्रतिशत	राशि
राज्यांश		
केन्द्रांश		
अन्य		

प्रयोजन हेतु व्यय की मदें (राशि रूपयों में)

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विवरण	वित्तीय वर्ष में अबतक कुल प्राव्धान (बजट अनुमान +अनुपूरक +पुनर्विनियोजन)	माह..................तक कुल व्यय	अतिरिक्त आवश्यक राशि	स्वीकृत (वित्त विभाग के उपयोग हेतु)
		योग				

12. आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम ____________

13. बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त सहायता/ऋण ____________

(स्त्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सहायता/अन्य) ____________

(कृपया नाम लिखें) ____________

14. यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें. ____________

14.1 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत की मांग संख्या ____________

14.2 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत का मुख्य शीर्ष ____________

14.3 सेगमेंट (कोड तथा नाम) ____________

14.4 मतदेय/भारित ____________

14.5 बचत की राशि ____________

14.6 बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन ____________

(संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्रक के साथ ही संलग्न करें)

बजट नियंत्रण अधिकारी | प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासकीय विभाग)

द्वितीय अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव

शाखा——

स.क्र.	विभाग का नाम	वित्त विभाग का फाईल क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष सहित योजना (स्कीम) का नाम पूर्ण विवरण	सेगमेंट कोड तथा नाम	उदेश्य शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष जिसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमानों में बजट प्रावधान चाहा गया है, के संबंध में जानकारी											सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित है या नहीं (हॉ/नहीं)	क्या नवीन मद है (हॉ/ नहीं)	अमान्य किये जाने का कारण
					क.	उदेश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	16–17 का कुल बजट प्रावधान	16–17 का कुल व्यय	17–18 का बजट प्रावधान	17–18 द्वितीय त्रैमास के लिए बजट प्रावधान	17–18 का कुल अद्यतन व्यय 30.10.17 तक	17–18 में व्यय का %	विभाग द्वारा मांगी गई राशि	मान्य योग्य राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13/11 या 12'100	15 (हजार मे)	16 (हजार मे)	17	18	19
1																		
2																		
3																		

नोटः वर्ष 2017–18 के द्वितीय त्रैमास में आवंटित राशि के विरूद्व व्यय की जानकारी भी दी जाए।
कार्यालय उपकरण एवं वाहन के मदों में सचिव स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय मंत्रीजी | अपर मुख्य सचिव | सचिव | अपर सचिव/उप सचिव | अवर सचिव